संख्या-123/2018/2152/छप्पन-2018-40/17

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2018

विषय :राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 दीपक श्रीवास्तव,पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 10 मार्च, 2019 से 17 मार्च, 2019 तक एवं विंग कमा0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 25 मार्च, 2019 से 01 अप्रैल, 2019 तक(04 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-860/ना0उ0नि0/आप्स-20/2016, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 दीपक श्रीवास्तव , पायलट (रोटर विंग) एवं विंग कमा0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0सं0	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क
1	कै0 दीपक श्रीवास्तव	12 मार्च, 2019 से 15 मार्च, 2019	निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली	10,25,100/-
2	विंग कमा0 एस0के0 गिरि,	25 मार्च, 2019 से 01 अप्रैल, 2019	निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली	10,25,100/-
कुल योग				20,50,200/-

उक्त तालिकानुसार पायलटगण को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी को कै0 दीपक श्रीवास्तव के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 11390 यूरो रू0 90/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 10,25,100/- (रूपए दस लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 2,80,100/- (रूपए दो लाख अस्सी हजार

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

एक सौ मात्र) एवं विंग कमा0 एस0के0 गिरि के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 11390 यूरो रू0 90/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 10,25,100/- (रूपए दस लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 2,80,100/- (रूपए दो लाख अस्सी हजार एक सौ मात्र) तथा अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 26,10,400/- (रूपए छब्बीस लाख दस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में कै0 दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) तथा विंग कमा0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण को निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी में कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 20,50,200/-(रूपए बीस लाख पचास हजार दो सौ मात्र) (प्रति पायलट 11390 यूरो रू0 90/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय एवं वायुयान किराया आदि पर होने वाले व्यय रूपये 5,60,200/- (रूपए पांच लाख साठ हजार दो सौ मात्र) (प्रति पायलट रू0 2,80,100/- की दर से) अर्थात् कुल रूपये रू0 26,10,400/- (रूपए छब्बीस लाख दस हजार चार सौ मात्र), के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली की ट्रेनिंग फैसिलिटी को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :ई-7-1125 /दस-2018, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

9- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्या-123/2018/2152(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0] इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2] वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।